29.1.18 मूल वाद में प्रार्थना पत्र पत्रावली तलबी बाबत पेश करने की पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की पेश हुई।

प्रार्थी मय अधिवक्ता एवं विपक्षी सं 1 मय अधिवक्ता उपस्थित। चूंकि मूल वाद में वादी द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रॉप की जाने की सूचना दी एवं प्रतिदावा अधिवक्ता प्रतिवादी सं 1 द्वारा नोटेड किये जाने से खारिज किया जाने सूचना दी। अतः इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

पत्रावली दुरुस्त होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
[illegible] जिला [illegible]

Scanned by CamScanner